(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 25 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः– 28 सितम्बर, 2022

विषयः न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना भूटान से ताजा (हरा) सुपारी के आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रक्रिया।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना भूटान से आईटीसी (एचएस) 0802 80 10 के तहत ताजा (हरा) सुपारी के आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) के आवेदन जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं

1. वित्तीय वर्ष 2022–23 की दूसरी छमाही के लिए, भूटान से एमआईपी के बिना 8,500 मीट्रिक टन ताजा (हरा) सुपारी की यथानुपात मात्रा का आयात किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 से आगे, भूटान से एमआईपी के बिना कुल 17,000 मीट्रिक टन ताजा (हरा) सुपारी का आयात किया जा सकता है।

2. इस तरह के किसी भी आयात को करने से पहले, भारतीय आयातक डीजीएफटी वेबसाइट → सेवाएं → आयात प्रबंधन प्रणाली → आयात के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पर आवेदन कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की मांग करेगा।

3. पंजीकरण प्रमाणपत्र के तहत अनुमत अधिकतम मात्रा 500 मीट्रिक टन होगी। एक बार पहले से पंजीकृत मात्राओं का विधिवत आयात हो जाने के बाद आयातक अतिरिक्त मात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. आरसी अधिकतम 6 महीने की अवधि या वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगी। इसके अलावा, डीजीएफटी के पास किसी भी समय, जैसा उचित समझा जाए, तौर–तरीकों/आवंटन प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

5. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः** भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना आईटीसी (एचएस) 0802 80 10 के तहत ताजा (हरा) सुपारी के आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन जारी करने की प्रक्रिया अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
28.9.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01 / 89 / 180 / 43 / एम–01 / पी.सी–2(क) / पार्ट–III / ई–8258 से जारी)